न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 46 / 2024(GCMS 2024/172)
(आरटीआई संख्या 212833100556710)

श्री विजय चौधरी, फ्लैट नम्बर 1696बी, हाउसफेड काम्प्लेक्स–2, सेक्टर 79, एस.ए.एस. नगर मोहाली, पंजाब पिन कोड़ – 140306

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (भू.अ.), सूरतगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

01.01.2025

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी विजय चौधरी स्वयं उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने तहसीलदार (भू.अ.), सूरतगढ़ से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 10.06.2024 से नौ बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री विजय चौधरी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न नौ बिन्दुओं की सूचना चाही थी :

भूमि का विवरणः

1. सर्वे नम्बर : 2 एफडीएम, मुरब्बा नम्बर 88 / 335, रकबा नम्बर 5, 6, 10, 11, 13, 15, 25
2. सर्वे नम्बर : 3 एफडीएम, मुरब्बा नम्बर 83 / 342, रकबा नम्बर 1 से 9, 13, 18, 19

आवश्यक जानकारी का विवरण

1. भूमि के वर्तमान मालिक का नाम
2. उल्लिखत भूमि की वर्तमान ... की स्थिति के संबंध में विवरण
3. उल्लिखित भूमि के स्वामित्व और कब्जे से संबंधित प्रासंगिक भूमि अभिलेखों (परत) की प्रमाणित प्रतियां
4. भूमि कब्जे का रिकार्ड – (फार्म –VIIबी)
5. अधिकारों के रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रति (फार्म –VII - XII)

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.01.23 15:36:37 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

6. फार्म—आठ ए की प्रमाणित प्रति
7. म्यूटेशन रजिस्टर की प्रमाणित प्रति (फार्म —VI)
8. सर्वेक्षण संख्या 2 एफडीएम और 3 एफडीएम के लिए ग्राम मानचित्र की प्रमाणित प्रति।
9. जिस आदेश/ऑर्डर पर भूमि का आवंटन किया गया है उस आदेश/ऑर्डर की तस्दीकशुदा कॉपी देने करावें।

तहसीलदार (भू.अ.), सूरतगढ ने अपने पत्रांक भू.अ./2024/2959 दिनांक 13.12.2024 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है :

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा चक 2एफडीएम मुरब्बा नं. 88/335 कि.नं. 5, 6, 10, 11, 13, 15, 25 व चक 3 एफडीएम मुरब्बा नं. 83/342 कि.नं. 1 ता 9, 13, 18, 19 बाबत चाही गई सूचना बिन्दुवार निम्न प्रकार हैः

बिन्दु संख्या 1 :— भूमि के वर्तमान मालिकों की जमाबन्दी संलग्न है।

बिन्दु संख्या 2 :— कब्जे संधारित रिकॉर्ड संधारित नहीं किया जाता है।

बिन्दु संख्या 3 :— बिन्दु संख्या 2 के अनुसार

बिन्दु संख्या 4 :— बिन्दु संख्या 2 के अनुसार

बिन्दु संख्या 5 :— जमाबंदी संलग्न है।

बिन्दु संख्या 6 :— संधारित नहीं किया जाता है।

बिन्दु संख्या 7 :— मयूटेशन संख्या एवं दिनांक प्रार्थना पत्र में दर्ज नहीं है।

बिन्दु संख्या 8 :— मानचित्र की प्रमाणित नकल संलग्न है।

बिन्दु संख्या 9 :— बिन्दु संख्या 9 प्रश्नात्मक है व वांछित सूचना उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक विशिष्टियां/जानकारी यथा — न्यायालय का नाम, आदेश पारिकर्त्ता सक्षम अधिकारी का पदनाम, निर्णय दिनांक आदि अंकित नहीं है। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(च) अनुसर लोक प्राधिकरण द्वारा वही सूचना [illegible] जो दस्तावेज, फ्लॉपी, सीडी अथवा अन्य रूप में संग्रहित है। कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 10.07.2008 के अनुसार काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर देना अथवा प्रश्न पूछना सूचना

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:36:37 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

का अधिकार के दायरे में नहीं आता है। सूचना जिस रूप में संधारित है, उसी रूप में दी जा सकती है। खोजकर खोजे गये तथ्यों के आधार पर सूचना देय नहीं है। डॉ.सेल्सा पिन्टो बनाम लोक सूचना अधिकारी के मा. गोवा उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार सूचना सृजित करके नहीं दी जा सकती है। पूर्ण विशिष्टियां आवश्यक है, उल्लेखनीय है कि मा.राजस्थान राज्य सूचना आयोग, जयपुर में द्वितीय अपील संख्या SC/SGNA/A/2023/105609 अनवान राकेश सैनी बनाम राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, सूरतगढ़ में पारित निर्णय दिनांक 12.01.2024 अनुसार राजस्व विभाग के अभिलेखों संबंधी दस्तावेज प्राप्त करने के लिए, विभागीय नियम निर्धारित है। अतः अपीलार्थी, वांछित अभिलेखों की प्रति, विभागीय नियमानुसार निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन कर, संबंधित नियंत्रण अधिकारी से प्राप्त कर सकते है।

तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ ने अपीलार्थी को उक्तानुसार जवाब दिया है। **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005** की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो** और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है।** सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:36:37 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।** इसलिए **तहसीलदार (भू.अ.), सूरतगढ़** द्वारा जो जवाब दिया है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। फिर भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावनाओं को देखते हुए तहसीलदार, सूरतगढ़ को आदेशित किया जाता है कि अपीलार्थी बिन्दु संख्या 07 एवं 09 के सम्बन्ध में सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करवा दे, तो उसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानुसार सूचना उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति **तहसीलदार (भू.अ.), सूरतगढ़** को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 01.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:36:37 IST
Reason: SelfAttested